शोध मंथन Vol. XII No.II April-June 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

बी०बी० नगर, बुलन्दशहर में घरेलू हिंसाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्तिः 22.05.2021
स्वीकृतः 10.06.2021

डॉ० कविता वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बी०बी० नगर, बुलन्दशहर
ईमेलः kavitasahdev@gmail.com

सारांश

''केवल एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता'' थप्पड फिल्म का यह एक मात्र डायलॉग ही नहीं है बल्कि यह हमारे समाज की जमीनी हकीकत भी है। 'घरेलू हिंसा' शब्द महिलाओं के प्रति परिवार में उसके पारिवारिक सदस्यों विशेषकर वैवाहिक सम्बन्धियों द्वारा की जाने वाली हिंसा व दुर्व्यवहार कओे लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पीड़ित महिला के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचिलता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं।

जब कभी भी महिलाओं के सन्दर्भ में हिंसा की बात की जाती है तो इस क्रम में सामान्यतः अर्थ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित होता है, पर महिलाओं के मन और अंर्तमन को आहत करती हिंसा का उसके मानसिक व भावनात्मक, स्वास्थ्य पर कितना गहन, गंभीर व स्थायी दुष्प्रभाव पड़ता है, इस ओर प्राय, लोगों का ध्यान नहीं जाता। महिलाओं का उत्पीडन, अपमान, शोषण, दमन तिरस्कार एवं यन्त्रणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं अन्य देशों की महिलाओं से कहीं आगे है, किन्तु महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मन्द, अव्यवस्थित एवं असंगत रही है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से वे पुरुषों से काफी पीछे हैं। न केवल काम के साथ भेदभाव किया जाता है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उदासी व उपेक्षा के कारण यह हो सकता है कि प्रथमतः यह सर्वमान्य है कि पुरुष अपने को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके कारण महिलाओं के प्रति की गयी हिंसा को हिंसा की दृष्टि से नहीं देखा जाता और दूसरे महिलायें स्वयं अपने धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति हिंसा से इन्कार कर देती है। गृहस्थी के अन्तर्गत तालमेल बनाये रखने के दायित्व बोध के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की घटनाएँ पुलिस रिकॉर्ड में नहीं

आतीं। अधिकांश ऐसे मामले पारिवारिक परिवेश में ही दबा दिये जाते हैं। तालमेल टूटने या उत्पीडन सहन सीमा के बाहर होने की स्थिति में ही महिलायें पुरुषों व परिवार के सदस्यों के विरुद्ध थाने तक पहुंचती है।

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''प्रगतिवादी का कोई बर्ताव, मूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जायेगा– (क) क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है या (ख) दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुंचाना या जोखिम में डालना या (ग) पीडित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना, या (ग) पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुँचाना'' घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है।

एन०सी०आर०बी० द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गये, जिनमें 2018 से 7.3 की वृद्धि हुई। (3,78,236 मामले) आई०पी०सी० के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध की अधिकांश मामलों को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता के तहत दर्ज किया गया (30.9:) और कोरोनपा वायरस की महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी।[1] राष्ट्रीय अपराध अभिलेखा ब्यूरो द्वारा दी गयी एक और रिपोर्ट के अनुसार ''प्रति चार मिनट में एक महिला उत्पीड़न, प्रति 09 मिनट में यौन उत्पीड़न, प्रति 70 मिनट में महिला छेड़छाड़, प्रति 53 मिनट में यौन उत्पीड़न, प्रति 70 मिनट में दहेज हत्या तथा प्रति 53 मिनट में बलत्कार की घटना घटित होती है।[2] यू०एन०एफ०पी०ए० (यूनाइटेड नेशन फन्ड फार पोपूलेशन्स एकटिवीटिज) तथा इन्टरनेशनल सेंटर फार रिसर्च ऑन वूमेन द्वारा 2014 के अध्ययन से पता चलता है कि दस में से छः पुरुष महिला विरोधी हिंसा को युक्ति संगत मानते हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि करीब 20 प्रतिशत महिलायें जेंडरन आधारित हिंसा को सही करार देती हैं।[3] हमारे देश में परम्परागत प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक मानक आज भी पुत्र को वरीयता देते हैं तथा महिलाओं व बालिकाओं को नियन्त्रित करने के एक माध्यम के रूप में उन पर हिंसा करने की इजाजत देते हैं। दुनिया की तुलना में भारत में लिंग का अनुपात सबसे कम है। वर्ष 2011 में भारत में 1000 लड़कों पर 940 ही लड़कियाँ हैं। एक दैनिक समाचार पत्र में माना गया कि महिलाओं के खिलाफ हर तीसरा अपराध घरेलू हिंसा है, जिसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। 2018 में पति और रिश्तेदारों के अत्याचार से जुड़े घरेलू हिंसा के कुल मामले एक लाख चार हजार एक सौा पैंसठ थे, जो 2019 में बढ़कर एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ पिचहत्तर हो गये। यानि 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। महिला व बाल

विकास मन्त्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में 23 दिसम्बर 2020 को दिए जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान मार्च में सितम्बर तक महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की 13410 शिकायतें मिलीं, इसमें सर्वाधिक यू०पी० से थीं।[4] इन मामलों में गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आंकड़े थानों में दर्ज अपराधों के हैं वरना न जाने कितने अपराध सामाजिक प्रतिष्ठा या भय दिखाकर घर में दफन करा दिये जाते हैं पुलिस थानों तक नहीं पहुँच पाते, कुछ शिकायत लेकर पहुँचते भी हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती और अगर रिपोर्ट लिखी भी जाती है तो कार्यवाही बहुत लम्बी हो जाती है या दोषी को सजा नहीं होती। ये समसयायें नयी नहीं हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान है और महिलायें अपने पूरे जीवन काल में पुरुषों के संरक्षण में रहती हैं– बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है।[5] यह समस्या किसी एक समाज की नहीं है। यह समस्या शहर व गांव दोनों ही क्षेत्रों में विद्यमान है। मद्यपान, दहेज, अशिक्षा व जागरुकता की कमी इस हिंसा के प्रमुख कारण हैं।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत आनुभाविक अध्ययन उ०प्र० के बुलन्दशहर जिले के बी०बी०नगर क्षेत्र सर्वेक्षण जो ग्रामीण विवाहित महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा के सन्दर्भ में किया गया है, सम्बन्धी प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें तथ्य संकलन 'साक्षात्कार अनुसूची' द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार प्र० ग्रामीण विवाहित महिलाओं को 'सोद्देश्य निदर्शन पद्धति' को प्रयोग कर किया गया है तथा इसमें 'व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पीड़ित महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
2. ग्रामीण विवाहित महिलाओं के प्रति पारिवारिक हिंसा के स्वरूपों का अध्ययन करना।
3. पारिवारिक हिंसा के कारणों तथा विशेषताओं का अध्ययन करना।
4. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रति ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता को जानना।
5. उन उपायों पर विचार करना जो घरेलू हिंसा को रोकने में सहायक हो।

उपलब्धियाँ–अध्ययन की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं–

तालिका नं० 1

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धी जानकारी

सम्बन्धित परिवर्त्य	तत्सम्बन्धित आवृत्तियां		(प्रतिशत)	समस्त (:)
आयु	25 वर्ष से कम	25 से 40 वर्ष	40 वर्ष से अधिक	योग
	14 (13.00)	32 (64.00)	04 (8.00)	50 (100.00)
धर्म	हिन्दू	मुस्लिम	अन्य	योग
	38 (76.00)	12 (24.00)	–	50 (100.00)
जाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	योग
	05 (10.00)	28 (56.00)	17 (34.00)	50 (100.00)

शिक्षा	अशिक्षित व प्राथमिक	माध्यमिक इण्टर	उच्च शिक्षा	योग
	21 (42.00)	26 (52.00)	03 (6.00)	50 (100.00)
परिवार	एकांकी	संयुक्त	–	योग
	05 (10.00)	45 (90.00)		50 (100.00)
आय वर्ग	निम्न	मध्यम	उच्च	योग
	29 (58.00)	12 (24.00)	09 (18.00)	50 (100.00)

सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 25 से 40 वर्ष (64 प्रतिशत) की थी तथा 13 प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु की थी तथा मात्र 8 प्रतिशत ऐसी महिलायें थीं जो 40 वर्ष से अधिक की थीं। अधिक आयु की महिलाओं का घरेलू हिंसा से कम पीड़ित होने का कारण देखा गया कि इस आयु तक बच्चे बड़े हो जाते तथा वे अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करते हैं। 76 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म व 24 प्रतिशत महिलायें मुस्लिम धर्म को मानने वाली थीं अध्ययन किया गया क्षेत्र अन्य पिछड़ा वर्ग बहुलक है अतः सर्वाधिक (56 प्रतिशत) इस श्रेणी की तथा 17 प्रतिशत व 10 प्रतिशत क्रमशः अनु० जाति व सामान्य वर्ग की थी। अधिकांश महिलायें माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित थीं क्यांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिका शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है तथा शीघ्र विवाह का चलन है, पर प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित व प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित रही वही मात्र 6 प्रतिशत स्नातक पूर्ण कर चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में संयुक्त परिवार ही अधिकतर होते हैं, यदि कारण है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से सम्बन्धित थी तथा मात्र 10 प्रतिशत महिलायें एकांकी परिवार से थीं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति देखने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक निम्न आय समूह की थी 24 व 18 प्रतिशत क्रमशः मध्यम व उच्च आय वर्ग से सम्बन्धित थी।

तालिक नं० 2

महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा को अपराध मानना

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	42	84
नहीं	08	16
योग	50	100

तालिका से स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा को अपराध व गैर–कानूनी मानते हैं वहीं 16 प्रतिशत यह मानती है कि उनके ऊपर होने वाला हिंसक व्यवहार किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यह दुर्व्यवहार स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने विवाह से पहले भी इस तरह का महिलाओं के प्रति उत्पीड़न देखा था।

तालिका नं० 3

घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
पति	46	92
सास–श्वसुर	15	30
सुसराल के अन्य सदस्य	06	12
योग	67	134

'बहुविकल्पीय उत्तर

सारणी से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा विवाहिता के प्रति उसकी सुसराल में न केवल पति द्वारा बल्कि वहाँ के अन्य सदस्यों द्वारा भी की जाती है। अध्ययन से ज्ञात हुआ अिक विवाहिता के प्रति उत्पीड़न सर्वाधिक (92 प्रतिशत) उसके पति द्वारा की गयी। सास–श्वसुर (30 प्रतिशत) द्वारा दहेज के लिए ताने मारना, मानसिक व भावनात्मक रूप से प्रताणित करना, घरेलू काम में कमियाँ निकालना, विवाहित के पैतृक परिवार को भला–बुरा कहना आदि शामिल है। ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा भी (12 प्रतिशत) देखा गया, जिसमें देवर द्वारा छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी करना तथा कभी–कभी घर की अन्य पद में बड़ी महिला सदस्यों द्वारा मानसिक व भावनात्मक उत्पीड़न शामिल है।

तालिका नं० 4

घरेलू हिंसा / दुर्व्यवहार का स्वरूप

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
मारपीट	17	34
लड़ाई झगड़ा	42	84
भावनात्मक व मानसिक यातना	41	82
आर्थिक उत्पीड़न	19	38
अन्य	06	10

'बहुविकल्पीय उत्तर

तालिका से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार का सबसे प्रचलित स्वरूप लड़ाई झगड़ा (84 प्रतिशत) है। पति व घर के अन्य सदस्यों द्वारा छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बहुत आम बात है जिसका कारण उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि उनके मायके पक्ष द्वारा दिये गये उपहार व किये गये व्यवहार में बिना बात के कमियाँ निकालना तथा उनके द्वारा पति या ससुराल पक्ष के अनुरूप व्यवहार न करना भी शामिल हैं भावनात्मक व मानसिक यातना (82 प्रतिशत) में उत्तरदाताओं से पति द्वारा ठीक से बात न करना, मरने व छोड़ देने की धमकी देना, मायके न जाने देना या मायके से लेकर न आना आदि शामिल हैं। आर्थिक उत्पीड़न (38 प्रतिशत) में उत्तरदाता द्वारा बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं को न लाना, पैसे न देना, मायके से जो सामान मिला वो उन्हें न देना तथा बीमार होने पर ठीक से इलाज न करवाना आदि शामिल हैं। अन्य प्रकार के

उत्पीड़न (10 प्रतिशत) में कहीं–कहीं यौन हिंसा तथा घर के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी करना शामिल है।

तालिका नं० 5

घरेलू हिंसा / उत्पीड़न का कारण

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
दहेज	38	74
नशा करना	33	66
पैसे की कमी	17	34
महिला का अशिक्षित/कम शिक्षित होना	19	38
अन्य कारण	11	22

'बहुविकल्पीय उत्तर

बालिका से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण विवाह के दहेज वर पक्ष के अनुरूप न होना है। (74 प्रतिशत)। अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा यह बताया गया कि विवाह के समय पसन्द के उपहार व नगद न मिलना लड़ाई–झगड़े व कभी–कभी मारपीट का कारण बनता है। घरेलू हिंसा का दूसरा प्रमुख कारण (66 प्रतिशत) पति द्वारा नशा करना है, अध्ययन के दौरान यह बताया गया कि मद्यपान के नशे में उत्तरदाताओं को पीटा जाता व दुर्व्यवहार किया जाता। 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वह कम शिक्षित हैं, इस कारण भी उनके साथ घर में दुर्व्यवहार होता है, अशिक्षित व कम शिक्षित होने के कारण भी वह अपने प्रति हो रहे उत्पीड़न का विरोध नहीं कर पाती। 34 प्रतिशत उत्तरदाता मानती हैं कि पैसे की कमी भी उन पर उत्पीड़न का कारण बनती है, क्योंकि पैसे के अभाव में केवल उनकी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं होती तथापैसे मांगने पर गाली–गलौच व प्रताड़ित किया जाता। 22 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उत्पीड़न के अन्य कारण में पति का अन्य महिलाओं से विवाहोत्तर सम्बन्ध होना, सन्तान का जन्म न होना या कन्या शिशु का जन्म होना, विवाहिता के पैतृक परिवार की सामाजिक प्रस्थिति को निम्न मानना, कम आय वर्ग के परिवर से आना तथा ससुराल के अन्य लोगों द्वारा पति को गलत शिकायत करना आदि शामिल हैं।

तालिका नं० 6

घरेलू हिंसा पीडिता का निवास स्थान

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
ससुराल	41	82
मायका	08	16
अन्य	01	02
योग	50	100

घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर भी सर्वाधिक उत्तरदाता (82 प्रतिशत) अपने ससुराल में पति के साथ ही रह रही हैं इसका कारण यह है कि पीड़िता यह मानती है कि समय के साथ सभी कुछ ठीक हो जायेगा क्योंकि परेशानी सभी घरों में होती है तथा ससुराल छोड़ने पर अपने व बच्चों के

लालन–पालन की समस्या रहती है, अतः दुर्व्यवहार होने पर भी महिलायें अपने पति व ससुराल में ही रहती हैं। 16 प्रतिशत महिलाओं ने प्रताडित व दुर्व्यवहार होने की स्थिति में अपने माता–पिता के घर वापस आना स्वीकार किया, इनमें से कुछ महिलाओं ने अपने प्रति दुर्व्यवहार की रिपोर्ट भी पुलिस में दे रखी थी तथा उस पर कार्यवाही चल रही है। मात्र 2 प्रतिशत ऐसी उत्तरदाता थी जो अपने बच्चों के साथ अकेले ही रह रही थी।

तालिका नं० 7

उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	13	26
नहीं	37	74
योग	**50**	**100**

घरेलू हिंसा के विरुद्ध मात्र 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही अपने उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में की तथा 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस में नहीं दी, क्योंकि वह इसे अपना घरेलू मामला मानती हैं और पुलिस में शिकायत होने पर वह मानती हैं कि अपने पारिवारिक सम्बन्ध और खराब हो जायेंगे। वह अपने जीवनयापन की परेशानी से डर के कारण इसकी शिकायत पुलिस में नहीं करतीं। हालाकि अपने विरुद्ध उत्पीड़न होने पर वह अपने माता–पिता तथा नजदीकी रिश्तेदारों को इसके बारे में अवश्य अवगत कराती हैं। उत्तरदाताओं ने यह भी माना कि कई मामलों मं माता–पिता तथा रिश्तेदारों के दखल करने पर कुछ समस्याओं का समाधान भी होता है।

तालिका नं० 8

घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	22	44
नहीं	17	34
थोड़ा–बहुत	11	22
योग	**50**	**100**

अध्ययन से ज्ञात होता है कि 44 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानती हैं तथा अवगत है कि महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध ऐसा कानून है जो उन्हें न्याय दिला सकता है। 34 प्रतिशत महिलायें इस अधिनियम से पूर्णत अनभिज्ञ हैं और वे केवल दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में ही जानती हैं। 22 प्रतिशत महिलायें इस अधिनियम के बारे में थोड़ा–बहुत ज्ञान रखती हैं।

निष्कर्ष व सुझाव

अध्ययन से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न ग्रामीण परिवेशिय परिवारों में प्रचलन में है। महिलायें इसे अपना भाग्य तथा 'ऐसा ही प्रचलन में है' मानकर चलती हैं, इसी कारण

वे इसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत भी कम करवाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वे इसे अपना व्यक्तिगत व पारिवारिक मामला मानती हैं तथा समय बीतने के साथ वे हिंसा व उत्पीड़न की घटनाओं में गिरावट की बात भी स्वीकार करती हैं। इसी कारण वह इसका ज्यादा विरोध नहीं कर पाती, वहीं पुरुष महिलाओं के साथ मारपीट व गाली–गलौच को अपना अधिकार समझते हैं 'सीमांन द बोउवा' अपनी पुस्तक 'द सेकण्ड सेक्स' में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं।[7] प्रत्येक सामाजिक संरचना में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पुरुषों में शक्ति व आक्रमकता के गुण स्वाभाविक रूप से विकसित किये जाते हैं, जबकि इसके विपरीत स्त्रियों में लज्जा व सहनशीलता के गुण विकसित किये जाते हैं। महिलायें शिक्षा के अभाव व कम शिक्षित होने के कारण भी इसका विरोध कर पाती हैं क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपने हित के कानूनों की जानकारी नहीं होती तथा दूसरी तरफ वे अपने व अपने बच्चों के लालन–पालन व अजीविका के लिए पूर्ण रूप से अपने पति व ससुराल पर ही आश्रित होती हैं।

घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार से मुक्ति पाने के लिए स्वयं महिलाओं को भी अपने स्तर से पहल करनी होगी। हमारे देश में महिलाओं से सम्बन्धित बहुत से कानून बने हैं, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उनके प्रति वे जागरूक हों तथा उनका क्रियान्वयन समाज में पूर्ण कठोरता के साथ किया जाये। न्यायिक प्रक्रिया खर्चीली व लम्बी होने के कारण भी महिलायें पुलिस व कानून का सहारा नहीं ले पाती तथा अपने सामने आर्थिक संकट के कारण वे इस कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास करती है। अतः पारिवारिक व सामुदायिक स्तर पर यदि इन्हें मदद मिल जाये तो महिलायें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध आसानी से कर सकती है। महिला शिक्षा व महिला रोजगार की तरफ और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्र में आज भी महिला शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे सामाजिक ढाँचे में भी इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है कि केवल लड़कों व पुरुषों के अधिकारों को महत्व देने के साथ–साथ बालिकाओं व महिलाओं को भी पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में महत्व दिया जाये ताकि महिलाओं में आत्म विश्वास व आत्मसम्मान जाग्रत हो सके। कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया में भी इस तरह के मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए ताकि महिलाओं को समय पर उचित न्याय मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Live Law News Network 7 Nov. 2020, 9:45 AM
2. शुक्ल, अमित : महिला सशक्तिकरण नयी सहसत्राब्दी में अवधाराणा, अमेगा पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली–2010, पेज नं० 137।
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, पेज 03, 2005–06
4. https://dainkik.b.in/b6bWSLAPnab.
5. आहूजा, राम : सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2010, पेज नं० 435
6. माथुर, प्रियंका : महिला सशक्तिकरण, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2010, पेज नं० 24
7. रचना, रंजना : घरेलू हिंसा का सामाजिक निर्माण : एक प्रघटनाशास्त्रीय व्याख्या, 'सामाजिकों, वार्षिक शोध पत्रिका, बी०एच०यू० वाराणसी (उ०प्र०) 2002